कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या– र– 519/तीस/जि0ख0फा0न्यास गठन–पिथौ0/ 2017 दिनॉक नवम्बर 22 ,2017.

खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जिला टास्क फोर्स कार्यालय,
पिथौरागढ़।

433
22-11-17

विषयः– **जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास का क्रियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक अपर सचिव औद्योगिक विकास अनुभाग–1 के संलग्न पत्र संख्या–1801/VII-1/17–ख/2015 दिनॉक 21 नवम्बर ,2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या– 1495/ VII-1/2017–8ख/16 दिनॉक 11 अक्टूबर,2017 की प्रति प्रेषित करते हुये गठित उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास का नियमानुसार आज ही पंजीकरण कराते हुये न्यास का किसी अनुसूचित वाणिज्यिक राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलने के उपरान्त न्यास के शसी परिषद की बैठकें आहूत कर कृत कार्यवाही से शासन को यथाशीघ्र अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सन्दर्भ में उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या– 1495/ VII-1/2017–8ख/16 दिनॉक 11 अक्टूबर,2017 द्वारा प्रख्यापित जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली–2017 के अनुसार न्यास में एक शासी परिषद एवं एक प्रबन्ध समिति होगी। शासी परिषद में जनपद के मा0प्रभारी मंत्री अध्यक्ष एवं मा0सदस्यगण विधानसभा को सदस्या नामित किया गया है। उक्त के अतिरिक्त जनपद के अन्य अधिकारियों सहित उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनपद हेतु नामित अधिकारी, जिलाधिकारी द्वारा नामित जनपद के दो गणमान्य व्यक्ति (जो खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य से सम्बन्धित हों), खनन गतिविधि प्रभावित ग्राम के ग्राम प्रधान को भी सदस्य नामित किया जाना है। उक्तानुसार प्रख्यापित जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली–2017 में आपको सदस्य सचिव नामित किया गया है।

अतः शासन के पत्र सं0–1801/VII-1/17–ख/2015 दिनॉक 21 नवम्बर ,2017 एवं उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली–2017 की छायाप्रति संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दो गणमान्य व्यक्ति (जो खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य से सम्बन्धित हों), उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनपद हेतु नामित अधिकारी तथा खनन गतिविधि प्रभावित ग्राम के ग्राम प्रधान के नाम अपने स्तर से प्राप्त कर शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार न्यास का गठन करने उपरान्त न्यास का किसी अनुसूचित वाणिज्यिक राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलने उपरान्त न्यास के शसी परिषद की बैठकें आहूत कर कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त।

प्रभारी अधिकारी(खनन)
कृते– जिलाधिकारी पिथौरागढ।

संख्या एवं दिनॉक उपरोक्तानुसार–

प्रतिलिपि, अपर सचिव,औद्योगिक विकास अनुभाग–1,उत्तराखड शासन,देहरादून।

प्रभारी अधिकारी(खनन)
कृते– जिलाधिकारी पिथौरागढ।

Scanned by CamScanner